# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 177 / 2023

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. हनुमानराम पुत्र शिवजीराम उम्र 55 वर्ष<br>2. सुखाराम पुत्र शिवजीराम उम्र 50 वर्ष<br>3. चौथाराम पुत्र शिवजीराम उम्र 45 वर्ष<br>4. घमाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 50 वर्ष<br>जातियान जाट निवासी पोटलियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा | | 1. अणदाराम पुत्र ऊदाराम उम्र 50 वर्ष<br>2. नवलाराम पुत्र ऊदाराम उम्र 55 वर्ष<br>3. कुंभाराम पुत्र ऊदाराम उम्र 60 वर्ष<br>4. कलू पत्नि ऊदाराम (फौत के कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या 1 से 3)<br>5. अमरू पत्नि पनाराम उम्र 60 वर्ष<br>6. नवलाराम पुत्र पनाराम उम्र 35 वर्ष<br>7. रावताराम पुत्र पनाराम उम्र 28 वर्ष<br>8.हेमाराम पुत्र प्रहलादराम उम्र 65 वर्ष<br>जातियान जाट निवासी पोटलियो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा<br>9. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिणधरी जिला बालोतरा<br>10. तहसीलदार सिणधरी |

## राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से उपस्थित।
3.विप्रार्थी संख्या 01 से 9 एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:54 IST
Reason: SelfAttested

**आदेश** दिनांक– 26.12.2024

**1.**संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1870 क्षेत्रफल 8.8262 हैक्टर ग्राम पोटलियो की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 8 के खेत खसरा संख्या 1864/4 रकबा 3.3007 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 8 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 08 भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम पोटलियों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1864/4 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

**2**.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 9 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 1 से 3 व 5 से 8 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का असवर बंद किया गया। विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

**3**.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1870 क्षेत्रफल 8.8262 हैक्टर ग्राम पोटलियो की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 8 के खेत खसरा संख्या 1864/4 रकबा 3.3007 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 8 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 08 भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

**4**.विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

**5**.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1870 क्षेत्रफल 8.8262 हैक्टर ग्राम पोटलियो की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 8 के खेत खसरा संख्या 1864/4 रकबा 3.3007 हैक्टयर में से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोट पत्र कमांक 3055/26.11.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा पोटलियों की ढाणी की खसरा संख्या 1870 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 1864/4 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेतों में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। विप्रार्थी संख्या 01 व 09 को न्यायालय से जरियें रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किया गया था। विप्रार्थीगण के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 9 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ से भली-भांली जानकार है तथा जानबूझकर प्रकरण में निस्तारण हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हो रहे अथवा प्रार्थी की इस्तदुआ से सहमत है। परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 1864/4 में लम्बाई 40 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.0486 हैक्टयर (0.06 बीघा) का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि-327488/- रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित [illegible] की डी. एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। [illegible] विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त [illegible] के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:54 IST
Reason: SelfAttested

**6**.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पोटलियों की ढाणी के खसरा संख्या 1864/4 में लम्बाई 40 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.0486 हैक्टयर (0.06 बीघा) तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

———दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को विप्रार्थी संख्या 01 से 08 को क्षतिपूर्ति की गणना कर भुगतान हेतु तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./वाद/2024/1073 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
**उपखण्ड अधिकारी सिणधरी**

आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी सिणधरी**

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:54 IST
Reason: SelfAttested